न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:–314 / 2016

वादपत्र अर्न्तगत धारा:– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. कुलवन्तसिंह 2. अनामसिंह 3. गुरासिंह उर्फ अंगूरसिंह पि. हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी ... तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

बनाम

–वादीगण

1. जसविन्द्रकौर पत्नी मिठूसिंह 2. ईकबालसिंह 3. राजसिंह पि. मिठूसिंह 4. परमजीतकौर 5. सिमरजीतकौर उर्फ हरजिन्द्रकौर पुत्रिया मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी बाहो सिविया तहसील बठिण्डा जिला बठिण्डा (पंजाब) 6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित:–

1. श्री रामनिवास बेदी एड. – वादीगण
2. श्री संजय साहेवाल एड.– प्रति.सं. 1 से 5

दिनांक– 7-8-2024

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रति. सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है हमारे परिवार की कृषि भूमि चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 8/5 खाता करनैलसिंह वगैरा व इसी चक के खाता सं. 85/79 खाता सरजीतकौर वगैरा व इसी चक के खाता सं. 12/6 खाता कुलवन्तसिंह वगैरा तथा चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 54/55 खाता मिठूसिह वगैरा व इसी चक के खाता सं. 72/74 खाता हमीरसिंह व चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 113/97 खाता मिठूसिंह वगैरा व चक 8 ए.एम.पी.खाता सं. 58/53 खाता जसविन्द्रकौर वगैरा में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चको के उक्त खातो की नकल जमाबन्दिया संलग्न वादपत्र है। कि वादपत्र की चरण सं. 4 में वर्णित राजस्व रिकार्ड में मिठूसिंह पुत्र हमीरसिह के नाम से आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त आराजी हमारी जददी जायदाद है मिठूसिंह पुत्र हमीरसिंह फौत हो गये है जिनके विधिक वारिसान प्रति. सं. 1 ता 5 ही उनके समस्त हक व हिस्सा की आराजी को विरास्तन प्राप्त करने के अधिकारी एंव दावेदार है अतः मिठुसिंह पुत्र हमीरसिहं के नाम दर्ज आराजी के प्रति. सं. 1 ता 5 ब.हि.ब.के खातेदार काश्तकार है वादीगण व प्रति. सं.1 ता5 ने दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का आपस में अच्छी मन्दी मुताबिक व काश्त की सुविधा अनुसार ... विभाजन प्रति. सं. 1 ता 5 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी मौजा बाहो सिविया ... बठिण्डा (पंजाब) में प्राप्त कर लिया है मौजा बाहो सिविया की नकल जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है ... की दफा 3 में दर्ज आराजी में प्रति. सं. 1 ता 5 व मिठूसिंह का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा ... आराजी के वादीगण ही ब.हि.ब.के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। इस कदर की घोषणा वादीगण प्राप्त करना चाहते है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप हम वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से अंकन करवा देवे तो इस पर पहले तो वे टाल मटोल करते रहे किन्तु अन्त में प्रतिवादीगण वादीगण के निवेदन से स्पष्ट ईन्कार हो गये बस यही वादकारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:01:2
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.07.2019 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 स्वय उपस्थित अपने अपने जबाव दावा मय वकालतनामा आई.डी. की चित्र प्रतियो के साथ पेश किया जिनकी पहचान श्री गुरमीतसिंह कलशी एडवोकेट ने की जबाव दावा शामिल मिसल किया। व प्रतिवादी सं. 6 स्टेट की ओर से जबाव दावा मे पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वादीगण के वादपत्र का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाधक बिन्दु कायम नही किये जाकर पत्रावली वास्त साक्ष्य वादीगण नियत की गयी। साक्ष्य वादीगण मे वादी कुलवन्तसिंह ने अपनी साक्ष्य मे शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र मे संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी व विरासतन राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित करवाया गया जो प्रदर्श 1 से 6 व 7 ए से 11 ए है। दिनांक 08.02.2021 को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री संतोष गौदारा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 18.02.2021 को पेश हो। दिनांक 18.02.2021 को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से संजय साहेवाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 8.4.2021 को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अं. आदेश 6 नियम 17 व 151 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया । दिनांक 25.02.2022 को प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर पेश प्रार्थना पत्र अं. आदेश 6 नियम 17 व 151 सी.पी.सी. का जबाव प्रार्थना वादीगण की ओर से पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत की गयी। दिनांक 25.8.2023 को वादीगण सं. 1 ता 3 की ओर अधिवक्ता श्री रामनिवास बेदी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। व दिनांक 29.9.2023 को अधिवक्ता वादीगण ने फार्न नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। दिनांक 6.6.2024 को प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण अं. आदेश 6 नियम 17 व 151 सी.पी.सी. खारीज किया जाकर पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य नियत की गयी। दिनांक 21.6.2024 को अधिवक्ता वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। दिनांक 9.7.2024 को अधिवक्ता प्रतिवादीसं.3 ता 5 ने हिदायत पैरवी ना होना जाहिर किया। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। शेष साक्ष्य वादी में वादी सं. 2 ने अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर मूल दस्तावेज तबादलानामा दिनांक 21.6.019 प्रदर्श 12 को प्रदर्शित जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 12 ए है। पानी पर्चीया प्रदर्श 13 से 15 है नहरी आबयाना जमाकरवाने की रशीदे प्रदर्श 16 से 21 है। नहरी गिरदावरी शुद्वदकार खसरा चक 1 एन.के.आर. प्रदर्श 22 है। जो सन् 2011से 2020 है। तथा चक 3 ए.एम.पी.(बी.) की नहरी गिरदावरी शुद्वदकार खसरा प्रदर्श 23 ,24 व 25 है। जो सन् 2011से 2021 है। चक 8 ए.एम.पी. की नहरी गिरदावरी शुद्वदकार खसरा प्रदर्श 26 से 36 है। जो सन् 2011से 2021 है। को प्रर्दशित करवाये। दिनांक 24.7.2024 को वकील वादी ने अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने का कथन किया पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। दिनांक 26.7.2024 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी गयी। व पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीगण के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो [illegible] हुऐ बहस में कथन किया कि वादीगण का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा भी वादीगण के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक [illegible] की ओर से पेश । नही किया।

हमारे द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादीगण की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी व विरासतन राजस्व रिकार्ड, तबादलानामा कृषि भुमि व नहरी

सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.07 12:01:20 IS
Reason: SelfAttested

पानी की पर्ची , आबयाना की रशीदे व नहरी गिरदावरी शुद्धकार खसरा प्रदर्श 1 से 6 व 7 ए से 12 ए तथा प्रदर्श 13 से 36 दस्तावेजी साक्ष्य तथा ब्यान गवाहान कुलवन्तसिंह व अनामसिंह की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुऐ सहमति का जबावदावा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 ने पेश किया है। वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादीगण को वादग्रस्त आराजी तबादलानामा में प्राप्त होना साबित है। वादीगण की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी विरास्तन होना भी साबित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने पर तथा विरास्तन आराजी तबादलानामा में वादीगण को प्राप्त होना साबित होने से वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि घरू बंटवारानामा अनुसार चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 8 / 5 (नया खाता सं. 11 / 8), 85 / 79 (नया खाता सं. 14 / 11), 12 / 6 (नया खाता सं.17 / 12) तथा चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 54 / 55 (नया खाता सं.99 / 54), 72 / 74 (नया खाता सं. 98 / 72) व चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 113 / 97 (नया खाता सं. 38 / 113) तथा चक 8 ए.एम.पी.खाता सं. 58 / 53 (नया खाता सं. 25 / 53) में स्व. मिठूसिंह पुत्र हमीरसिंह व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त खातो से मिठूसिंह पुत्र हमीरसिंह व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का नाम कलमजन कर हिस्सा वादीगण के नाम ब. ही.ब. दर्ज किया जावे।

यदि प्रश्नगत आराजी पर ऋण है तो ऋण चुकता प्रमाण पत्र पेश होने पर अमल दरामद किया जावे। यह आदेश आज दिनांक 7/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:01:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बइजलास – राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

---

1. कुलवन्तसिंह 2. अनामसिंह 3. गुरासिंह उर्फ अंगूरसिंह पि. हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी लम्बीढ़ाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादी

बनाम

1. जसविन्द्रकौर पत्नी मिठूसिंह 2. ईकबालसिंह 3. राजसिंह पि. मिठूसिंह 4. परमजीतकौर 5. सिमरजीतकौर उर्फ हरजिन्द्रकौर पुत्रिया मिठूसिंह जाति जटसिख निवासी बाहो सिविया तहसील बठिण्डा जिला बठिण्डा (पंजाब) 6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा हक **मुकदमा संख्या 314/2016**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी एड़ मिन जामिन मुदई श्री संजय साहेवाल एड़ मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि :– अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है कि घरू बंटवारानामा अनुसार वादीगण चक 1 एन. के.आर. के खाता सं. 8/5 (नया खाता सं. 11/8), 85/79 (नया खाता सं.14/11), 12/6 (नया खाता सं.17/12) तथा चक 2 एन.के.आर. के खाता सं. 54/55 (नया खाता सं.99/54), 72/74 (नया खाता सं.98/72) व चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 113/97 (नया खाता सं.38/113) तथा चक 8 ए.एम.पी. खाता सं. 58/53 (नया खाता सं. 25/53) में स्व. मिठूसिंह पुत्र हमीरसिंह व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त खातो से मिठूसिंह पुत्र हमीरसिंह व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 का नाम कलमजन हिस्सा वादीगण के नाम ब.ही.ब. दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नोटः– यदि बैंक ऋण हो तो संबंधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

निज...X...मुब्लिक ...X... बाबत ...X... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज से तारीख बसूलयाबी तक ...X... को अदा करे।

बसब्त मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7-8-17 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:01:20
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया